बिहार विधान सभा के लिए शून्यकाल सूचना	
श्री राजकुमार राय, मा0 स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक –19.07.2011 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के संबंध में	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
शून्यकाल सूचना	**उत्तर**
समस्तीपुर जिला अन्तर्गत करेह नदी के दोनों तटबंधों पर बसे भूमिहीनों के विस्थापित होने के बाद रहने की व्यवस्था नहीं की गयी है । सदन के माध्यम से सरकार से उक्त बांध पर बसे भूमिहीनों को स्थायी आश्रय हेतु आग्रह करते हैं।	(1) जि0 पदा0, समस्तीपुर के प्रतिवेदन के अनुसार करेह नदी के तटबंध से हसनपुर अंचल अंतर्गत विस्थापित हुए कुल 43 परिवारों को बिहार रैयती भूमि क्रय नीति के अन्तर्गत भूमि क्रय कर बसाया जा चुका है । (2) शिवाजी नगर अंचल अंतर्गत विस्थापित परिवारों में से 56 परिवारों को थाना सं0–41 में गैर मजरूआ आम की जमीन स्वीकृति की प्रक्रिया में है तथा शेष 36 परिवारों के पुनर्वास हेतु गैर मजरूआ आम जमीन की खोज कर ली गई है एवं स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । (3) सिंधिया अंचल अंतर्गत तटबंध पर बसे 117 महादलित परिवारों के लिए भूमि क्रय की जा रही है। अन्य परिवारों मे से कुछ लोग स्थायी तथा कुछ अस्थायी रूप से तटबंध पर निवास कर रहे हैं, स्थायी भूमिहीन लोगों के लिए भूमि की तलाश की जा रही है । (4) बिथान अंचल अंतर्गत किसी भी परिवार के विस्थापित होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0शू0का0–107/2011/................................/आ0प्र0 दिनांक –

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक –1724 दि0–7.09.2011 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –04/वि0स0शू0का0–107/2011/....4279..../आ0प्र0 दिनांक – 17.10.12

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे सभी सम्बन्धितों एवं विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 17.10.12

सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vi Sabha\Vidhai QA Shoonyakal 6-8-2012.docx